आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्राप्त पत्र सं०-1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated:20 May 2020 के अनुपालन में इटावा जजशिप, जो कि वर्तमान में आरेन्ज जोन में है, में निम्नलिखित न्यायालय दिनांक-22-05-2020 से न्यायिक कार्य हेतु संचालित किये जायेगें-

1- जनपद न्यायाधीश।

2- प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश व अतिरिक्त पारिवारिक न्यायाधीश।

3- विशेष क्षेत्राधिकार से सम्बंधित सभी न्यायालय।

4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व न्यायिक मजिस्ट्रेट।

5- सिविल जज(वरिष्ठ श्रेणी)।

6- सिविल जज(कनिष्ठ श्रेणी)।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त न्यायालय के कक्षों को खुलवाकर उनकी सफाई व सेनीटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा सम्बंधित कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि वे कार्यालय समयानुसार उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करेगें।

आदेश की सूचना जिला बार संघों व मीडिया में प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित की जाय। सभी सम्बंधित सूचित हो।

Nandeep 21-5-2020

जनपद न्यायाधीश,

इटावा।